

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2025/131

सिविल प्रकरण संख्या:- 13/2025

तारीख रजू 19.05.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम


1. विकास गुर्जर पुत्र छीतरलाल गुर्जर (विक्रेता) मैसर्स श्रीगणेश मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर रोड, सवाई माधोपुर नि. नीमली रोड, नीमली सवाई माधोपुर 322001।
2. बाबूलाल गुर्जर पुत्र रामजी लाल गुर्जर (प्रोपराईटर) मैसर्स श्रीगणेश मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर रोड, सवाई माधोपुर नि. ढाणी लुढावाली, खिदरपुरजादौन, डूंगरी, तह. खण्डार, सवाई माधोपुर।
..... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), 2(iv)/51& 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं
नियम 2011

निर्णय:-

दिनांक 12.01.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत दिनांक 10.02.2025 को 03.00 पी.एम. पर मैसर्स श्रीगणेश मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर रोड, सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम विकास गुर्जर पुत्र छीतर लाल गुर्जर होना बताया एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र दिखाया जो वर्ष 2026 तक के लिए मान्य था। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि संस्थान में रखी स्टील की डिस्प्ले काउन्टर फ्रीज में 3-4 किलोग्राम मलाई बर्फी दूध व चीनी से बनी आमजन को विक्रय हेतु रखी हुई थी। उक्त मलाई बर्फी (prepared by milk and sugar) में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 2 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 500/- रूपये विक्रेता विकास गुर्जर को नगद अदा कर समंद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान पवन कुमावत एवं वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किए। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर



विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विकास गुर्जर ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं० 5ए की एक प्रति विक्रेता विकास गुर्जर को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने खरीदशुदा मलाई बर्फी (prepared by milk and sugar) को हिला-मिलाकर एकरूप कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मलाई बर्फी (prepared by milk and sugar) को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर डालकर 40-40 बूंदे फॉर्मैलिन की डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाइट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक H-3629 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-3629 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/298 दिनांक 05.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/326/एक्ट/ 2025/398 दिनांक 24.02.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Malai Burfi (prepared by Milk and Sugar) Sub Standard & The sample is Food Containing Extraneous Matter (Foreign fat) under section 3(1)i of Food Safety and Standard Act,2006** प्रकृति का होना पाया गया है।


न्याय निणयन अधिकारी
एवं अति. जिला माजेस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/679 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा **Malai Burfi (prepared by Milk and Sugar) Sub Standard & The sample is Food Containing Extraneous Matter (Foreign fat)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 व 2 की तरफ से अभियुक्त संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुआ। अभियुक्त संख्या 2 द्वारा प्रकरण का जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Malai Burfi (prepared by Milk and Sugar) Sub Standard & The sample is Food Containing Extraneous Matter (Foreign fat)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त संख्या 2 ने प्रस्तुत जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की फर्म से दिनांक 10.02.2025 को **Malai Burfi (prepared by Milk and Sugar)** का सैम्पल लिया गया था जो सब-स्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा दूध की खरीद कर उससे मिठाई मलाई बर्फी तैयार की जाती है। जिसमें उच्च क्वालिटी का दूध काम में लिया जाता है। प्रार्थी गरीब एवं छोटा दुकानदार है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण में आरोप स्वीकार कर भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाने का कथन करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/326/एक्ट/ 2025/398 दिनांक 24.02.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Malai Burfi (prepared by Milk and Sugar)** सबस्टैण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में **B.R. reading of extracted fat at 40.0°C results 61.1** आया है जोकि **40.0 to 44.0** होना चाहिए था। जिससे नमूने में आंशिक रूप से **Foreign fat** मिला होना प्रतीत होता है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त नमूना जांच की पुनः


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं असि. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

रेफरल जांच भी नहीं करवाई गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Malai Burfi (prepared by Milk and Sugar)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से 20,000/-रु0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(संजय शर्मा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर